

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ नगर हेतु सीवरेज योजना अवशेष/अन्तिम किशत की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-18/नागर-2/033-410/15 दिनांक 19.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ नगर हेतु सीवरेज योजना की पुनरीक्षात लागत ₹ 549.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश संख्या- 977/नौ-5-2006-11बजट/2006, दिनांक 24.03.2006 द्वारा ₹ 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-2945(क)/नौ-5-07-11बजट/06, दिनांक 06.08.2007 द्वारा ₹ 159.34 लाख, शासनादेश संख्या-6058/नौ-5-2010-11बजट /2011, दिनांक 13.01.2011 द्वारा ₹ 109.89 लाख एवं शासनादेश संख्या-1733ए/नौ-5-13-11बजट/2006, दिनांक 30.03.2013 द्वारा ₹ 99.24 लाख कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 468.47 लाख के दृष्टिगत अवशेष धनराशि ₹ 81.00 लाख (₹ 0 इक्यासी लाख मात्र ) को अंतिम किशत रूप में अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 24.03.2006, 06.08.2007, 13.01.2011 एवं दिनांक 30.03.2013 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) — स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु- 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय  
AM

(उमाशंकर सिंह)  
संयुक्त सचिव।

9/c

संख्या-85/2015-441/नौ-5-15-11बजट/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर:-

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/आजमगढ़।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 7- मुख्य अभियंता (वा0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, वाराणसी।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।
- 9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4।
- 10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)  
संयुक्त सचिव।

66

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2014-2015  
आवंटन दिनांक-23/03/2015

प्रेषण संख्या:- 85-2015  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-85-2015-441-9-5-15-11Bud-2006  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	8100000	8100000
		प्रगामी	8100000	8100000
	योग	वर्तमान	8100000	8100000
		प्रगामी	8100000	8100000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्यासी लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्यासी लाख

  
(उमा शकर सिंह)  
संयुक्त सचिव